रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

REGISTERED No. D.L.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] दिल्ली, सोमवार, फरवरी 21, 2011/फाल्गुन 2, 1932 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 281
No. 33] DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 2011/PHALGUNA 2, 1932 [N.C.T.D. No. 281

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 फरवरी, 2011

सं. एफ. 3 (9)/वित्त (क. एवं स्था.)/2009-10/पार्ट फा.-1/डीएस-II/73.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात्:—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम जन्मतिथि/श्री/श्रीमती/सुु.	पदनाम
1.	मुकुल कोरंगा/4-2-61	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2.	पी. आर. कौशिक/27-1-61	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
3.	योगेश जैन/14-4-68	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
4.	मनोज जैन/10-11-66	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अरविन्द जैन, उप-सचिव-II

672 DG/2011

23

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st February, 2011

No. F. 3(9)/Fin. (T & E)/2009-10/Pt. file/DS-II/73.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

Sl. No.	Name of the Officer/D. O.B. (Smt./Km.)	Appointed As
1.	Mukul Korange/(4-2-61	Value Added Tax Officer
2.	P. R. Kaushik /27-1-61	Value Added Tax Officer
3.	Yogesh Jain /14-4-68	Value Added Tax Officer
4.	Manoj Jain/10-11-66	Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ARVIND JAIN, Dy. Secy.-II

सेवाएं विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 फरवरी, 2011

सं. एफ. 3 (10)/2008/से.-III/661.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस आशय के लिए अधिकार प्रदान करने वाली अन्य सर्व शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ—

(1) ये नियम "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आशुलिपिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली, 2010" कहे जाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से यह नियम प्रभावी होंगे ।

नियम 2 का संशोधन

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आशुलिपिक नियमावली, 2008" (इसके पश्चात् "उक्त नियमावली" कहा जाएगा) के नियम 2 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

(क) इन नियमों के प्रयोजनों के लिये प्रधान निजी सचिव के संदर्भ में "नियुक्ति प्राधिकारी" उपराज्यपाल, दिल्ली, वरिष्ठ निजी सहायक एवं आशुलिपिक ग्रेड-II के संदर्भ में मुख्य सचिव तथा आशुलिपिक ग्रेड-III के संदर्भ में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष हैं ;

नियम 3 का संशोधन

"उक्त नियमावली" के नियम 3 के उप-नियम (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जाएंगे; अर्थात् :—

(2) सेवा में अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट चार ग्रेड होंगे ।

(3) प्रधान निजी सचिव का पद केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' अलिपिकीय (राजपत्रित) पद के रूप में वर्गीकृत होगा, वरिष्ठ निजी सहायक केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ख' अलिपिकीय (राजपत्रित) पद के रूप में वर्गीकृत होंगे, आशुलिपिक ग्रेड-II के पद केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ख' अलिपिकीय (राजपत्रित) पद के रूप में वर्गीकृत होंगे तथा आशुलिपिक ग्रेड-III के पद केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' अलिपिकीय (अराजपत्रित) के रूप में वर्गीकृत होंगे ।

नियम 4 का संशोधन

"उक्त नियमावली" के नियम 4 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किये जाएंगे; अर्थात् :—

(1) ड्यूटी पदों में चार ग्रेड होंगे तथा उनकी संख्या एवं इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर उनसे सम्बद्ध वेतनमान प्रथम अनुसूची के अनुसार यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

नियम 7 का संशोधन

"उक्त नियमावली" के नियम 7 के उप-नियम (2) के विद्यमान खंड 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किये जाएंगे :

(क) प्रधान निजी सचिव की सभी रिक्तियां ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले वरिष्ठ निजी सहायक के पद को धारण करने वाले योग्य अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर चयन द्वारा आयोग से परामर्श करके भरी जाएंगी, जिसके न होने पर निम्नलिखित में से आयोग के साथ परामर्श करके प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केन्द्र/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों में समरूप पदधारण करने वाले तथा निम्नलिखित योग्यता रखने वाले अधिकारी :

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की उपाधि।

(2) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी/हिन्दी टाइप लेखन में 40 शब्द प्रति मिनट की गति।

(ख) वरिष्ठ निजी सहायक ग्रेड की सभी रिक्तियां ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले आशुलिपिक ग्रेड-II के पद को धारण करने वाले योग्य अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति से भरी जाएंगी, जिसके न होने पर निम्नलिखित में से आयोग के साथ परामर्श करके प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केन्द्र/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों में समरूप पदधारण करने वाले तथा निम्नलिखित योग्यता रखने वाले अधिकारी :

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की उपाधि।

(2) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी/हिन्दी टाइप लेखन में 40 शब्द प्रति मिनट की गति।

(ग) आशुलिपिक ग्रेड-II की सभी रिक्तियां ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले आशुलिपिक ग्रेड-III के पद को धारण करने वाले योग्य अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति से भरी जाएंगी, जिसके न होने पर निम्नलिखित में से आयोग के साथ परामर्श करके प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केन्द्र/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों में समरूप पदधारण करने वाले तथा निम्नलिखित योग्यता रखने वाले अधिकारी :

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की उपाधि।

(2) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी/हिन्दी टाइप लेखन में 40 शब्द प्रति मिनट की गति।

(घ) आशुलिपिक ग्रेड-III की सभी रिक्तियां बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर या समय-समय पर मुख्य सचिव द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रूप में भरे जाएंगे।

(ङ) यदि सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त किसी अधिकारी को उच्च पद में पदोन्नति के लिये विचार किया जाता है, तो उनका वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिये विचारणीय होगा यशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्र सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्र सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम है, से कम न हो तथा उसने अपने इस अर्हक/पात्र सेवा को पहले से पूरा करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

टीप. : पदोन्नति के लिये पात्रता सूची, सम्बद्ध ग्रेड या पद में अर्हक सेवा पूर्ण होने की तिथि के अनुसार तैयार की जाएगी।

नियम 8 का संशोधन

"उक्त नियमावली" के नियम 8 के उप-नियम (2) के विद्यमान खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा

"उक्त नियमावली" के नियम 8 के उप-नियम (2) के विद्यमान खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा.

सेवा के प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सहायक तथा आशुलिपिक ग्रेड-II के सदस्यों की वरीयता संबंधित पद में नियमित नियुक्ति (इस सेवा नियमावली के गठन से पूर्व भर्ती पद्धति के अनुसार नियमित नियुक्ति) की तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

नियम 9 का संशोधन

"उक्त नियमावली" के नियम 9 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(1) सेवा के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में पदोन्नति पर एवं सीधी भर्ती द्वारा आशुलिपिक ग्रेड-III में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगा ।

शर्त यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकते हैं ।

नियम 10 का संशोधन

"उक्त नियमावली; के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

सेवा में सभी नियुक्तियां प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सहायक या आशुलिपिक ग्रेड-II या आशुलिपिक ग्रेड-III में की जाएगी तथा सेवा में सम्मिलित किसी विशेष पद पर नहीं ।

टीप : सामान्यतः सेवा के सदस्य अपने से संबंधित सेवा के विभिन्न ग्रेडों में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे, अन्य सेवा में नहीं ।

अनुसूची-I

[नियम 4 (1) देखें]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आशुलिपिक सेवा का विभिन्न ग्रेडों में वर्गीकरण, वेतनमान तथा ड्यूटी पदों की संख्या निम्न प्रकार से होगी:—

भाग क — सेवा के ग्रेड तथा स्वीकृत पदों की संख्या

(अ)	सेवा का ग्रेड	वेतनमान
1.	प्रधान निजी सचिव (समूह "क" राजपत्रित, अलिपिकीय)	₹ 15600-39100 (पी बी-3) + ग्रेड पे ₹ 6600
2.	वरिष्ठ निजी सहायक (सीनियर पी.ए.) (समूह "ख" राजपत्रित, अलिपिकीय)	₹ 6500-10500 (पूर्व संशोधित) (ग्रेड में आरंभिक नियुक्ति पर) ₹ 8000-13500 (पूर्व संशोधित) (ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद सतर्कता एवं निष्ठा प्रमाण-पत्र की शर्त पर)
3.	आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह "ख" अराजपत्रित, अलिपिकीय)	₹ 5500-9000 (पूर्व संशोधित)
4.	आशुलिपिक ग्रेड-III (समूह "ग" अराजपत्रित, अलिपिकीय)	₹ 4000-6000 (पूर्व संशोधित)

(ब)	स्वीकृत पद	
1	प्रधान निजी सचिव	19
2	वरिष्ठ निजी सहायक (सीनियर पी.ए.)	214
3	आशुलिपिक ग्रेड-II	464
4	आशुलिपिक ग्रेड-III	464
	अवकाश तथा प्रशिक्षण रिजर्व	232
	कुल	1393

(स)	रिजर्व	
1	लीव रिजर्व 1161 का 10%	116
2	प्रशिक्षण रिजर्व 1161 का 10%	116
	कुल	232

भाग ख

विभिन्न ग्रेडों में पदों की संख्या

क्रम सं.	पदों के नाम	पदों की संख्या
(अ)	प्रधान निजी सचिव	19
(ब)	वरिष्ठ निजी सहायक के अन्तर्गत पद	214
(स)	आशुलिपिक ग्रेड-II के अन्तर्गत पद	464
(द)	आशुलिपिक ग्रेड-III के अन्तर्गत पद	464
1	भाग ख के (अ), (ब), (स) तथा (द) का योग	1161
2	अवकाश तथा प्रशिक्षण रिजर्व	232
	कुल योग	1393

अनुसूची-II

(नियम 7 देखें)

विधमान अनुसूची-II में क्रम संख्या 4 पर निम्नलिखित जोड़े जायेंगे :—

4	प्रधान निजी सचिव (पी.पी.एस.) ₹15600-39100 (पी.बी.-3) + ग्रेड पे रु. 6600	100% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	नियमित रूप से नियुक्त वरिष्ठ निजी सहायक अधिकारी जिनकी न्यूनतम नियमित सेवा 8 वर्ष की होगी, पदोन्नति के लिये विचार हेतु योग्य होगा । प्रतिनियुक्ति :— केन्द्र/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों में नियमित आधार पर समरूप पदा अथवा ₹6500-200-10500 (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में आठ वर्ष नियमित सेवा रखने वाले निजी सचिव तथा :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की उपाधि। (2) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी/हि टाइप लेखन में 40 शब्द प्रति मिनट की गति । (फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के योग्य नहीं होंगे । इसी तरह, प्रतिनियु वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के योग्य नहीं होंगे) । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । इसमें उ या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधा किसी अन्य गैर-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अं तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

अनुसूची-III

[नियम 7(2) देखें]

विधमान अनुसूची-III में क्रम संख्या 4 पर निम्नलिखित जोड़े जायेंगे :—

क्र. सं.	ग्रेड	विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना (पदोन्नति के विचारार्थ)	
4.	प्रधान निजी सचिव	(क) अध्यक्ष/सदस्य, यू.पी.एस.सी.	—अध्यक्ष
		(ख) मुख्य सचिव	—सदस्य
		(ग) प्रधान सचिव गृह	—सदस्य

टीप-1. अध्यक्ष को छोड़कर, किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही को अवैध नहीं माना जाये यदि समिति के आधे से अधिक सदस्यों ने, जिसमें समिति का अध्यक्ष भी शामिल है, इन बैठकों में भाग लिया है ।

टीप-2. यदि आवश्यक हुआ तो विभागीय पदोन्नति समिति का उप-राज्यपाल द्वारा समय-समय पर पुनर्गठन किया जायेगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अरविन्द रे, प्रधान सचिव

SERVICES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st February, 2011

No. F. 3(10)/2008/S-III/661.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 27/59-Him (I) dated the 13th July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules, namely :—

1. Short title and commencement—

(1) These rules may be called "The Government of National Capital Territory of Delhi Stenographers Service (First Amendment) Rules, 2010".

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of Rule 2

In Rule 2 of "The Government of National Capital Territory of Delhi Stenographers Service Rules, 2008" (hereinafter called "the said Rules") for clause (a) the following clause shall be substituted namely :

(a) "appointing authority" in relation to Principal Private Secretary (PPS) means the Lt. Governor, Delhi, in relation to Senior Personnel Assistant and Stenographer Grade-II means the Chief Secretary and in relation to Stenographer Grade-III means the Head of Department concerned for the purposes of these rules;

Amendment of Rule 3

In Rule 3 of "the said Rules" for sub-rule (2) and (3) the following shall be substituted namely :

(2) The Service shall have Four Grades as specified in Schedule - I.

(3) The post of Principal Private Secretary (PPS) shall be classified as Central Civil Service Group A Non-Ministerial (Gazetted) Posts, Senior Personal Assistant shall be classified as Central Civil Service Group B Non-Ministerial (Gazetted) posts, the posts of Stenographers Grade-II shall be classified as Central Civi Services Group B, Non-Ministerial (Non-Gazetted) posts and those of Stenographers Grade-III shall b classified as Central Civil Services Group C, Non-Ministerial (Non- Gazetted) posts.

Amendment of Rule 4

In Rule 4 of "the said Rules" for sub-rule (1) the following shall be substituted namely :

(1) The duty posts included in the Four Grades, their numbers and the scales of pay attached to them on t date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule- I

Amendment of Rule 7

In sub-rule 2 of Rule 7 of "the said Rules" for existing clause a, b, c and d, the following shall be substituted

(a) All vacancies in Principal Private Secretary shall be filled in consultation with the Commission by promot by selection on the basis of the recommendation of the departmental promotion committee from amor eligible officers holding the post of Senior Personal Assistant having 8 years regular service in the gr failing which by deputation in consultation with the Commission from amongst :

Officers of the Central/State Governments/Union Territories, holding analogous posts, and possessin

(i) Degree from a recognized University or Institution.

(ii) Speed of 100 w.p.m. in shorthand (English/Hindi) and 40 w.p.m. in typewriting in English/Hindi.

(b) All vacancies in Senior Personal Assistant grade shall be filled by promotion by selection on the basis recommendation of the departmental promotion committee from amongst eligible officers holding th

of Stenographer Grade-II having 8 years regular service in the grade, failing which by deputation in consultation with the Commission from amongst :

Officers of the Central/State Governments/Union Territories, holding analogous posts, and possessing :

(i) Degree from a recognized University or Institution.

(ii) Speed of 100 w.p.m. in shorthand (English/Hindi) and 40 w.p.m. in typewriting in English/Hindi.

(c) All vacancies in Stenographer Grade-II shall be filled by promotion by selection on the basis of the recommendation of the departmental promotion committee from amongst eligible officers holding the post of Stenographer Grade-III having 5 years regular service in the grade, failing which by deputation in consultation with the Commission from amongst:

Officers of the Central/State Governments/Union Territories, holding analogous posts, and possessing:

(i) Degree from a recognized University or institution.

(ii) Speed of 100 w.p.m. in shorthand (English/Hindi) and 40 w.p.m. in typewriting in English/Hindi.

(d) All vacancies in Stenographer Grade-III shall be filled in by direct recruitment on the basis of open competitive examinations to be conducted by the Board or in such a manner as may be specified by the Chief Secretary from time to time.

(e) If any officer appointed to any grade of the Service is considered for the purpose of promotion to the higher post, his senior would also be considered, provided that he is not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and has successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note.—The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the qualifying service in the respective grade or post.

Amendment of Rule 8

In sub-rule 2 of Rule 8 of "the said Rules" for existing clause (f) the following shall be substituted:

The seniority of the members of Principal Private Secretary, Senior Personal Assistant and Stenographer Grade-II of the Service shall be determined with reference to the date of regular appointment (appointment made in a regular manner in accordance with the method of recruitment prior to the constitution of these Service rules) to the post concerned.

Amendment of Rule 9

In sub-rule 1 of Rule 9 of "the said Rules" the following shall be substituted:

(1) Every officer on promotion to the Principal Private Secretary Grade and on appointment to Stenographer Grade-III of the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of two years:

Provided that the appointing authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government of India from time to time in this behalf.

Amendment of Rule 10

In Rule 10 of "the said Rules" the following shall be substituted:

All appointment to the Service shall be made to Principal Private Secretary, Senior Personal Assistant or Stenographer Grade II or Stenographer Grade III of the Service and not against any specific post included in the Service.

Note.—Members of the Service shall, in the normal course be eligible for appointment to various grades of the Service to which they belong and not to the other Service.

SCHEDULE-I

[See rule 4 (1)]

Classification, scale of pay and number of duty posts in the different grades of the Government of NCT of Delhi Stenographer Service shall be as under :

Grades and sanctioned strength of the Service

Part A		
(a)	**Grades of the Service**	**Scale of pay**
1.	Principal Private Secretary (Group "A" Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 15600-39000 (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6600.

Part A — Grades and sanctioned strength of the Service

(a)	Grades of the Service	Scale of pay
2.	Senior Personnel Assistant (Sr. P.A.) (Group "A" Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 6500-10,500 (Pre-Revised) (On initial appointment in the grade) Rs. 8000-13,500 (Pre-Revised) (On completion of 4 years of regular service in the grade subject to vigiliance and integrity clearance)
3.	Stenographer Grade II (Group "B" Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 5500-9000 (Pre-Revised)
4.	Stenographer Grade III (Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 4000-6000 (Pre-Revised)

(b)	Sanctioned strength	
1.	Principal Private Secretary	19
2.	Senior Personal Assistant (Sr. P.A.)	214
3.	Stenographer Grade-II	464
4.	Stenographer Grade- III	464
	Leave and Training Reserves	232
	Total	1393

(c)	Reserves	
1	Leave reserve at 10% of 1161	116
2	Training reserve at 10% of 1161	116
	Total	232

Part B Posts in the various grades.

S. No.	Name of posts	No. of posts
(a)	Principal Private Secretary	19
(b)	Posts under Senior Personal Assistant	214
(c)	Posts under Stenographer Grade-II	464
(d)	Posts under Stenographer Grade- III	464
	(i) Total of (a), (b), (c) and (d) of Part B	1161
	(ii) Leave and Training Reserves	232
	Grand Total	1393

SCHEDULE-II

[See rule 7]

In the existing Schedule -II at S.No.4 the following shall be added :

S. No.	Grade	Method of Recruitment	Eligibility
4.	Principal Private Secretary (P.P.S) Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6600.	100% by Promotion, failing which by deputation.	A regularly appointed Senior Personal Assistan Officer with a minimum of 8 years of regular service in the grade shall be eligible to be considered for promotion.

S. No.	Grade	Method of Recruitment	Eligibility
			Deputation : Officers of the Central/State Governments/Union Territories, holding analogous posts on regular basis or a Private Secretary having 8 years of regular service in the pay band scale of Rs. 6500-200-10500 (pre-revised) and possessing :— (i) Degree from a recognized University or institution. (ii) Speed of 100 w.p.m. in shorthand (English/Hindi) and 40 w.p.m. in typewriting in English/Hindi. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

SCHEDULE-III

[See rule 7(2)]

In the existing Schedule-III at S. No. 4 the following shall be added :

S. No.	Grade	Composition of the Departmental Promotion Committee (for considering promotions)	
4	Principal Private Secretary	(a) Chairman/Member, U.P.S.C	—Chairman
		(b) Chief Secretary	—Member
		(c) Pr. Secretary (Home)	—Member

Note I.—The absence of a member, other than the Chairman, shall not invalidate the proceedings of the Departmental Promotion Committee if more than half the members, including the Chairman of the Committee, had attended its meeting(s).

Note II.—The Departmental Promotion Committee may be re-constituted by the Lt. Governor from time to time if need be.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ARVIND RAY, Principal Secy.

672 DG/11-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.